



270

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकारण क्रमांक

12012 निगरानी — R. 3241-PB412

१- जमुना बाई बेवा मिश्रीलाल सैन,

२- रामबाबू पुत्र मिश्रीलाल सैन,

३- बाबूलाल पुत्र मिश्रीलाल सैन,

४- कैलाश पुत्र मिश्रीलाल सैन,

निवासीगण ग्राम वधाँ, तेहसील शमशावाद,

जिला विदिशा-मध्यप्रदेश।

----- प्रार्थीगण

बिराच्छद

१- लक्ष्मण सिंह पुत्र छोटेलाल सैन,

निवासी ग्राम भेहरा, तेहसील कासीदा,

जिला विदिशा-मध्यप्रदेश।

२- साधना बाई पुत्री छोटेलाल पत्नी महेश सिंह सैन,

३- सविता बाई पुत्री छोटे लाल सैन पत्नी बूजैश कुमार

हाल निवासीगण बन्टी नगर, सागर पुलिया,

जिला विदिशा-मध्यप्रदेश।

४- सौज बाई पुत्री छोटेलाल सैन पत्नी मल्कानसिंह,

निवासिन ग्राम बर्खेड़ा सौंट, तेहसील व जिला

सिहोर-मध्यप्रदेश।

५- छोटीबाई पत्नी छोटेलाल सैन, निवासिन ग्राम-

भेहरा-तेहसील-वासीदा, जिला विदिशा-मध्यप्रदेश।

----- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी बिराच्छद बादेश तेहसीलदार महोदय, शमशावाद जिला विदिशा दिनांकी ३१-८-१२, अन्तर्गत घारा ५० मध्यप्रदेश मु-राजस्व संघिता, १९५६, प्र०३०० द४। ब-२७। ०६-०७।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

क्रमांक:-२

R
2/51

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 3741–पीबीआर/12

जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-9-16	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपरिथित ।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार के अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । चूंकि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में यह निगरानी निरर्थक हो गई है और इसे चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं है । अतः यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है ।</p>  <p style="text-align: right;">सदस्य</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	